RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR BANDA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY, BANDA(U.P.)

Advt. No.: E-4761/2024

Dated: June 27, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Banda University of Agriculture and Technology, Banda, established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 11(1) of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Agriculture Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 28.07 .2024.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.

राज भवन, लखनऊ

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (उ.प्र.) के कुलपित के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-4761/2024

दिनांक : जून 27, 2024

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (उ०प्र०), जो कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा—11(1) के अधीन गठित समिति के द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 28.07.2024 तक केवल **ऑनलाइन (Online)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्ये सचिव, श्री राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।